(15)

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुर्न-विलोकन प्रकरण क्रमांक 813/1/17 निगू
R 813-I-17

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा कलेक्टर जिला-जबलपुर(म०प्र०) ------आवेदक

विरूद्ध

1. मुन्नी बाई पति श्री रूपचंद
   निवासी- कोसमघाट तहसील व जिला
   जबलपुर

डी.के. शुक्ला (शा० एडवोकेट) द्वारा आज दि. 6-3-17 प्रस्तुत
6.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र.

2. श्रीमति सरिता जायसवाल पत्नि नरेन्द्र
   जायसवाल, निवासी- 104 नेपियर टाउन
   जबलपुर ---------अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-51 भू-राजस्व संहिता-1959

D. Shukla
(Govt. Advocate)
6-3-17

आवेदकप्रार्थना करता है:--

1. आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक-959-दो/14 में पारित आदेश दिनांक-4.6.2014 के संबंध में निम्नलि पुर्न-विलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है:--

(1) यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-4.6.14 को पारित करतेसमय महत्त्वपूर्ण विधिक तथ्यों का निराकरण नहीं किर गया है जिनका निराकरण प्रकरण के उचित निराकरण हेतु आवश्यक है

(2) यह कि, प्रथम दृष्टया मूल आदेश प्राप्त पुनः परीक्षण कर पुर्न-किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – रिव्यू 813–एक/17 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06–12–17 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 959–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 04–06–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत दिनांक 06–3–17 को अर्थात 33 माह विलंब से प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य है ।<br>2/ संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निश्कर्शों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है । पुनरावलोकन आवेदन में जिन आधारों को बतलाया गया है, उन आधारों पर तत्कालीन सदस्य द्वारा विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ ।<br>3/ उपरोक्त विश्लेष्ण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>प्रशा0 सदस्य | |